



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 25 फरवरी, 2026

फाल्गुन 6, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5

संख्या 72/81-5-2026-786793

लखनऊ, 25 फरवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ10-38

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, सन् 1976) की धारा 21 और 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 24/81-5-2020-07/93, दिनांक 7 जनवरी, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में पैरा 2 में दिनांक "31 दिसम्बर, 2025" के स्थान पर दिनांक "31 दिसम्बर, 2027" रख दिया जायेगा।

2-पूर्वोक्त अधिसूचना की अन्य समस्त निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 72/LXXXI-5-2026-786793 dated February 25, 2026 :

No. 72/LXXXI-5-2026-786793

Dated Lucknow, February 25, 2026

In exercise of the powers under Sections 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protections of Trees Act, 1976 (U.P. Act no. 45 of 1976), *read* with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 24/81-5-2020-07-93, dated January 7, 2020, namely:—

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in paragraph-2 *for* the date "31st December, 2025", the date "31st December, 2027" shall be *substituted*.

2. All other terms and conditions of the aforesaid notification shall remain unchanged.

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.